मुक

बान :–

01. अश

1/

1,

1

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 14-02-24 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
42 / 2015	02–03–2015	14/02/2024

उनवान :–

01. अशरफ पुत्र श्री भूरू (मृतक)
   1/1 अयूब
   1/2 हक्कू
   1/3 सरफूदीन पुत्रान स्व०. श्री अशरफ
   1/4 जैतूनी पत्नी स्व० श्री अशरफ
   1/5 अजरूदीन पुत्र स्व० श्री तैयब पुत्र स्व० श्री अशरफ
   1/6 समीना पत्नी स्व० श्री तैयब पुत्र स्व० श्री अशरफ जाति मेवान निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा
02. अख्तर पुत्र श्री भूरू (मृतक)
   2/1 खुर्शीद
   2/2 नबीखां पुत्रान स्व० श्री अख्तर जाति मेवान निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
03. लाखा पुत्र स्व० श्री भूरू (मृतक)
   3/1 आसू
   3/2 हजरूदीन
   3/3 अरसद
   3/4 इरसाद
   3/5 युसुफ पुत्रान स्व० श्री लाखा जाति मेवान निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
04. अहमद पुत्र श्री भूरू (मृतक)
   4/1 शकील
   4/2 अब्दुल कलाम पुत्रान स्व० श्री अहमद
   4/3 रहीसन पत्नी स्व० श्री अहमद जाति मेवान निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

———:: वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

02. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, 33/11 के.वी.जी.एस.एस. जरिये अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि हाल खसरा नं. 585 रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा जो वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है, जिसके वर्तमान आराजी खसरा नं. 2932/585 रकबा 8.79 है. व 2931/585 रकबा 1.25 है. है। जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। उक्त विवादित आराजी साबिक आराजी खसरा नं. 238 रकबा 4 बिस्वा, 239 रकबा 7 बिस्वा, 247 रकबा 6 बिस्वा, 358 रकबा 7 बिस्वा, 359 रकबा 6 बिस्वा, 360 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, 361 रकबा 15 बिस्वा, 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 356 /1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 353 रकबा 3 बिस्वा, 249 रकबा 14 बिस्वा से मिलकर बने है, जो वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। मुलाहिजा मिलान क्षेत्रफल सलंग्न वाद पत्र है। उक्त साबिक आराजी खसरा नं. 356/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 355/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 355/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नं. 238 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 361 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मिन वादीगण के पिता भूरू पुत्र दुण्डा व उमराव पुत्र फतेहखां की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी विरासत में मिन वादीगण को प्राप्त हुई है। मिन वादीगण के दादा टुण्डा के एक भाई फतेहखां था। दुण्डा के अमब ब सन्ताने भूरू व अडीसिंह हुये, अडीसिंह लावल्द बिला औरत फौत हो गया, जिसके वारिसान हम भूरू की सन्ताने वादीगण हुये तथा दादा टुण्डा के भाई फतेहखां के एक सन्तान उमरखां हुआ, जो भी लावल्द बिला औरत फौत हो गया, जिसके अन्य कोई विधिक वारिस नही था, जिसके भी हम वादीगण वारिसान है। उपरोक्त विवादित आराजी को छोडकर अन्य आराजीयात में मिन वादीगण के नाम का अमल दरामद हो चुका है। वक्त भू–प्रबन्ध उक्त साबिक आराजीयात जो वादीगण के बुर्जुगान के नाम खातेदारी में अंकित थी, को भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व अधिकारियों ने विधि विरुद्ध से खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड जाकर साबिक आराजी खसरा नं. 238 रकबा 4 बिस्वा, 361 रकबा 15 बिस्वा, 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 356/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को हाल आराजी खसरा नं. 585 में शामिल करते हुए सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया। जबकि उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2022 में मिन वादीगण के बुर्जुग उमराव पुत्र फतेहखां व भूरू पुत्र टुण्डा के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। जिस पर अपने जीवनकाल में वे काबिज व दाखिल रहे है तथा आज मिन वादीगण बदस्तूर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर मिन वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आराजी को विधि विरूद्ध रूप से सिवायचक दर्ज कर प्रतिवादी सं0–1 के नाम का बेजा अमल कर दिया व तत्पश्चात कुछ रकबा प्रतिवादी सं0–2 के नाम अमल आ गया, जो अंकन मिन वादीगण के हिस्से तक बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। उक्त आराजी के साबिक जमाबन्दी अनुसार मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा मिन वादीगण की साबिक आराजीयात का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा विधि विरूद्ध रूप से गलत अमल कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। जिसे मिन वादीगण सी कदर दुरुस्त कराकर मुताबिक साबिक जमाबन्दी व रिकार्ड अनुसार तथा मौका अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी में अपने 6 बीघा 4 बिस्वे की आराजी का अमल दरामद कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराकर इश्तकरारहक की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। मिन वादीगण अपनी आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल है। जिसकी जानकारी मिन वादीगण को एक वर्ष पूर्व हुई और समस्त नकुलात लेकर प्रतिवादीगण को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण हर बार आश्वासन देते रहे और अब दिनांक 08.12.2014 को प्रतिवादी सं0–2 बेजा रूप से गलत अमल के आधार र खम्बे गाढकर मौके की स्थिति को तब्दील कर रहे है तथा दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया तथा तिवादीगण ने सिवायचक भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक रादो में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों में आंकी जाना कतई सम्भव नहीं होगी और मिन वादीगण को अपने हकूक खातेदारी से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 1 व 2 धिक व्यक्ति है, जिसे दावा करने से पूर्व जा० दी० की धारा 80 के तहत 2 माह का विधिक नोटिस दिया ाना अति आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी सं0–1 व 2 ने रिकोर्ड दुरूस्ती से इन्कार कर दिया तथा कहां है क आराजी दीगर सिवायचक करने की धमकी दी तथा आराजी से कब्जा छोड़ने की धमकी दी। इसलिए मला अर्जेन्ट नेचर का हो गया है, जिस बाबत धारा 80 (2) जा० दी० के तहत प्रार्थना पत्र वाद के साथ लग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वाद नोटिस दिये बिना ही प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक हुआ । डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावें कि विवादित हाल खसरा नं. 5 रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा जो वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है, जिसके र्तमान में आराजी खसरा नं. 2932/585 रकबा 8.79 है. व 2931/585 रकबा 1.25है. है। उक्त विवादित राजी साबिक आराजी खसरा नं. 238 रकबा 4 बिस्वा, 239 रकबा 7 बिस्वा, 247 रकबा 6 बिस्वा, 358 कबा 7 बिस्वा, 359 रकबा 6 बिस्वा, 360 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, 361 रकबा 15 बिस्वा, 355 रकबा 1 घा 12 बिस्वा, 356 / 1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 353 रकबा 3 स्वा, 249 रकबा 14 बिस्वा से मिलकर बने है, जो वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला स्थल–तिजारा में स्थित है। उक्त साबिक आराजी खसरा नं. 356/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 कबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 355/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 355/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नं. 238 कबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 361 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मिन वादीगण के पिता भूरू पुत्र टुण्डा व उमराव पुत्र तेहखां की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसकी मृत्यु ... आराजी विरासत में मिन दीगण को प्राप्त हुई है। मिन वादीगण के दादा टुण्डा के ... के दो सन्ताने क व अडीसिंह हुये, अडीसिंह लावल्द बिला औरत फौत हो गया ... हम भूरू की सन्ताने दीगण हुये तथा दादा टुण्डा के भाई फतेहखां के एक सन्तान उमराव हुआ, जो भी लावल्द बिला औरत त हो गया, जिसके अन्य कोई विधिक वारिस नही था, जिसके भी हम वादीगण वारिसान है। उपरोक्त वादित आराजी को छोडकर अन्य आराजीयात में मिन वादीगण के नाम का अमल दरामद हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध उक्त साबिक आराजीयात जो वादीगण के बुर्जुगान के नाम खातेदारी में अंकित थी, को –प्रबन्ध कर्मचारियों व अधिकारियों ने विधि विरूद्ध से खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड जाकर साबिक राजी खसरा नं. 238 रकबा 4 बिस्वा, 361 रकबा 15 बिस्वा, 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 356/1 रकबा बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को हाल आराजी खसरा नं. 585 में शामिल करते हुए वायचक भूमि दर्ज कर दिया। जबकि उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान जमाबन्दी सम्वत् 2010 लगायत 022 में मिन वादीगण के बुर्जुग उमराव पुत्र फतेहखां व भूरू पुत्र दुण्डा के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। जस पर अपने जीवनकाल में वे काबिज व दाखिल रहे है तथा आज मिन वादीगण बदस्तूर काबिज व खिल है तथा मौके पर मिन वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी हक अधिकार के उक्त आराजी को विधि विरूद्ध रूप से सिवायचक दर्ज कर प्रतिवादी सं0–1 के नाम का बेजा मल कर दिया व तत्पश्चात कुछ रकबा प्रतिवादी सं0–2 के नाम अमल आ गया, जो अंकन मिन वादीगण हिस्से तक बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। उक्त आराजी के साबिक जमाबन्दी नुसार मिन वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा मिन वादीगण की साबिक आराजीयात का कबा 6 बीघा 4 बिस्वा विधि विरूद्ध रूप से गलत अमल कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। जसे मिन वादीगण इसी कदर दुरूस्त कराकर मुताबिक साबिक जमाबन्दी व रिकार्ड अनुसार तथा मौका नुसार उपरोक्त विवादित आराजी में अपने 6 बीघा 4 बिस्वे की आराजी का अमल दरामद कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराकर इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र अयूब पुत्र अशरफ जाति मेव निवासी ग्राम जैरोली, आंसू पुत्र लाशा जाति मेव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 1), जमाबन्दी सवंत 2010 (प्रदर्श 2), जमाबन्दी सवंत 2019–22 (प्रदर्श 3), जमाबन्दी सवंत 2069–72 (प्रदर्श 4) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण विवादित आराजी के काबिल खातेदार काश्तकार है तथा इसी कदर साबिक जमाबन्दी अनुसार गलत अमल दुरूस्त कराकर वादीगण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

–– जिम्मे वादीगण

उपरोक्त तनकी का विवेचन किया गया व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिस अनुसार –

01. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 में वर्तमान खसरा नम्बर 585 जो साबिक खसरा नम्बर 238, 239, 247, 358, 359, 360, 361, 355, 356/1, 356/2, 353, 249 से मिलकर बना है

02. साबिक जमाबन्दी प्रदर्श 2 साबिक नम्बर 361 उमर खां पुत्र फतेह खां वल्द दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:58:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा

03\. साबिक जमाबन्दी प्रदर्श 3 में साबिक नम्बर 356/1 व 356/2 उमर खां पुत्र फतेह खां दर्ज है व साबिक खसरा नम्बर 238 भूरू पुत्र टूण्डा व साबिक नम्बर 355/1, 355/2 बकाश्त भूरू पुत्र टूण्डा दर्ज है।

04\. वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069 से 72 प्रदर्श 4 में 585 का बटे नम्बर 2932/585, 2931/585 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है।

उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 356/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 356/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 355/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 355/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 238 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 361 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा साबिक रिकार्ड में उमर खां पुत्र फता व भूरू पुत्र टूण्डा के नाम दर्ज है। जिसके खातेदार व काश्तकार रहे है। मुताबिक वाद पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार फतेह खां फता व टूण्डा आपस में भाई थे। फतेह खां के एक वारिस उमर खां हुआ जो लावल्द फौत हो गया। टूण्डा के दो सन्ताने भूरू सिंह व अडीसिंह हुये अडी सिंह भी लावल्द फौत हो गया जिसप्रकार उमर खां व अडीसिंह की विरासत भूरू को प्राप्त हुई व वादीगण भूरू के वारिसान है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 356/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, 356/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि, 355/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 355/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि, 238 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा की 4 बिस्वा भूमि, 361 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में से 15 बिस्वा भूमि कुल 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि हाल खसरा नम्बर 585 में शामिल की गई है। उपरोक्त भूमि साबिक रिकार्ड अनुसार वादीगण के बुजुर्गान की काबिज व काश्त की भूमि रही है। वक्त प्रादुर्भाव काश्तकारी अधिनियम 1955 व जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के वक्त वादीगण के बुजुर्गान आराजी के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार रहे है जिस अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हकूक खातेदारी वादीगण को प्राप्त हो चुके है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उपरोक्त रकबा गलत रूप से प्रतिवादी के नाम अंकित किया है सैटलमेन्ट विभाग को रिकार्ड परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। साबिक रिकार्ड की पुनरावर्ति करनी चाहिये थी वादीगण द्वारा अपने कब्जे के संबंध में दो गवाह पीडब्ल्यू 1 व 2 न्यायालय में परिक्षित कराये है जिन साक्ष्य से तत्समय से वादीगण का कब्जा साबित है इसलिए यह तनकी बहक वादीगण व बरखिलाफ प्रतिवादी बखूबी साबित है। जिस अनुसार वादीगण आराजी के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण विवादित आराजी में अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी की बाबत तनकी नम्बर 1 में विश्लेषण किया जा चुका है। जिस अनुसार वादीगण राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 3 – आया वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

उपरोक्त तनकी बाबत वादीगण को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में प्रतिवादी राज्य सरकार है राज्य सरकार को हु0 दवामी से पाबन्द नहीं किया जा सकेता। इसलिए तनकी स्ट्रेक्आउट की जाती है।

तनकी नम्बर 4 – आया वादीगण आपसी से गैरकाबिज, गैरवास्ता है। वादीगण का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

यह की तनकी नम्बर 1 से स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5 – अनुतोष

यह की खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को वादीगण हाल खसरा नम्बर 2/585 रकबा 8.79 है0 में से रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला थल–तिजारा (राजस्थान) में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को 1/4 भाग व वादी संख्या 2/1 ायत 2/2 को 1/4 भाग व वादी संख्या 3/1 लगायत 3/5 को 1/4 भाग, वादी संख्या 4/1 ायत 4/3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में ल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested